भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2703

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2017/26 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया गया)

धोखाधड़ी के पूर्व चेतावनी देने वाली प्रणाली

2703. श्रीमती ज्योति धुर्वे :

श्री हरिओम सिंह राठौड़ :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने धोखाधड़ी का पता लगाने और कारपोरेट कदाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अपनी क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्व-चेतावनी प्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जिन संगठनों के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है और ऐसे कारपोरेट मामलों पर रोक लगाने में नई प्रणाली के किस हद तक प्रभावी होने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): इस मंत्रालय का गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) चेतावनी देने और कारपोरेट कदाचार के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु अपनी क्षमता सुदृढ़ करने के लिए 'पूर्व चेतावनी प्रणाली' (ईडब्ल्यूएस) विकसित कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए संकल्पनात्मक ढांचा तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता एजेंसी की सेवाएं ली जा रही हैं। ईडब्ल्यूएस को विकसित करना एक दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है। विकसित किया जा रहा ढांचा स्थिर होने के बाद परिणाम सामने आएंगे।

(ग) और (घ): मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (दिनांक 31.01.2017 तक) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्यम से उन 432 कंपनियों के मामलों में जांच करने का आदेश दिया है जिनके विरूद्ध कपट की शिकायतें/ आरोप मंत्रालय के ध्यान में लाए गए हैं।

*****